न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 166 / 2024(जी.सी.एम.एस. 2024 / 286)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. जसदीप सिंह पुत्र हरविलास सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 28.08.2024

उपस्थितः 1.श्री ईकबाल सिंह ढिल्लों अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

––निर्णय–– दिनांक : 04.11.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 49 जीजी, की जमाबंदी सम्वत 2028 ता 2031 के खाता संख्या 38 की कुल 11 बीघा भूमि का बेचान सोना राम द्वारा हरविलास को दिनांक 24.03.1964 को जरिये बैयनामा बेचान कर दी गई। जिसका इन्तकाल दिनांक 22.01.1965 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया। बैयनामा की रोज से वादी का पिता काबिज काश्त चला आ रहा है। पटवारी हल्का द्वारा वादी के पिता की खरीदशुदा आराजी का विरास्तन इंतकाल संख्या 201 उसके वारिसान के नाम दर्ज कर दिया गया। उक्त आराजी पर वादी के पिता द्वारा बेचान की रोज से काश्त की जा रही है। वर्तमान में वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। इसलिए भी इंतकाल संख्या 201 निरस्त किये जाने योग्य है। आज से 10 रोज पूर्व वादी, तहसीलदार श्रीकरणपुर व पटवारी हल्का से मिला और उनके कहा कि आप राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल संख्या 201 को दुरूस्त कर इंतकाल संख्या 53 दर्ज किया जावे। तो तहसीलदार व पटवारी हल्का द्वारा कहा कि हम इंतकाल दुरूस्त नहीं कर सकते आपको न्यायालय से इंतकाल दुरूस्ती का आदेश लाना पडेगा। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 49 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2028 ता 2031 के खाता संख्या 38 में दर्ज खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल संख्या 201 दिनांक 17.08.2013 को दुरूस्त कर इंतकाल संख्या 53 दिनांक 22.01.1965 दर्ज किए जाने के आदेश फरमाये जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 2999 दिनांक 23.09.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 49 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2018 ता 2021 के खाता संख्या 38 में सोनाराम वल्द लाधूराम कौम मेघवाल साकिन देह खातेदार के नाम 5.767 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। उक्त खाते में से खातेदार सोनाराम वल्द लाधूराम ने जरिए बैयनामा दिनांक 24.03.1964 से 11 बीघा का बेचान हरविलास पुत्र खेता सिंह कौम जटसिख को बेचान कर दिया गया। जिसका इन्तकाल संख्या 53 दिनांक 07.02.1965 ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया। जिसका पटवारी हल्का द्वारा नोट जमाबन्दी सम्वत 2018 ता 2021 में भी लगाया गया। लेकिन इसके बाद की किसी भी जमाबन्दी में आजतक हरविलास पुत्र खेता सिंह का नाम दर्ज नहीं है। परन्तु हरविलास पुत्र खेता सिंह द्वारा खरीदशुदा भूमि पर खरीद समय से आदिनांक तक कब्जा काश्त व इसकी मृत्यू के बाद इसके वारिसान का कब्जा चला आ रहा है। विरास्तन इन्तकाल संख्या 201 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.06.2013 को किया गया तथा इंतकाल संख्या 202 दस्तबरदारी द्वारा उक्त समस्त भूमि लूणाराम पुत्र सोनाराम कौम मेघवाल के नाम दर्ज हो गई। इन्तकाल संख्या 201 व 202 को धारूराम पुत्र लादूराम एंव छोटी पत्नी धारूराम कौम मेघवाल द्वारा उपखण्ड न्यायालय श्रीकरणपुर में चुनौती दी गई। जिसका निर्णय करते हुए माननीय न्यायालय में उक्त खाते से 0.963 हैक्टेयर भूमि छोटी पत्नी धारूराम एंव 1.444 हैक्टेयर भूमि धारूराम पुत्र लादूराम के नाम करने के आदेश जारी किए। जिसकी पालना में इन्तकाल संख्या 303 दिनांक 08.06.2020 दर्ज किया गया। इन्तकाल संख्या 305, 308 के द्वारा छोटी पत्नी धारूराम व धारूराम पुत्र लादूराम का सम्पूर्ण रकबा अपनी सन्तान गवरी पुत्री धारूराम के नाम हो गया। वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 59 में उक्त रकबा गवरी पुत्री धारूराम जाति मेघवाल हिस्सा 2407/5767 व लूणाराम पुत्र सोनाराम जाति मेघवाल हिस्सा 3360/5767 खातेदार दर्ज

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

रिकॉर्ड है। उक्त वादगत 11 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त हरविलास पुत्र खेता सिंह के वारिसान का है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया तथा वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत Triveni Shyam Sharma vs Board Of Revenue And Ors. On 27 August 1964 का सम्मानपूर्वक अवलोकन व पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादी के द्वारा चक 49 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2028 ता 2031 के खाता संख्या 38 में दर्ज इंतकाल संख्या 201 दिनांक 17.08.2013 को दुरूस्त कर इंतकाल संख्या 53 दिनांक 22.01.1965 दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक 49 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2018 ता 2021 के खाता संख्या 38 में सोनाराम वल्द लाधूराम कौम मेघवाल साकिन देह खातेदार के नाम 5.767 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। उक्त खाते में से खातेदार सोनाराम वल्द लाधूराम ने जरिए बैयनामा दिनांक 24.03.1964 से 11 बीघा का बेचान हरविलास पुत्र खेता सिंह कौम जटसिख को बेचान कर दिया गया। जिसका इन्तकाल संख्या 53 दिनांक 07.02.1965 ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया। जिसका पटवारी हल्का द्वारा नोट जमाबन्दी सम्वत 2018 ता 2021 में भी लगाया गया। लेकिन इसके बाद की किसी भी जमाबन्दी में आजतक हरविलास पुत्र खेता सिंह का नाम दर्ज नहीं है। परन्तु हरविलास पुत्र खेता सिंह द्वारा खरीदशुदा भूमि पर खरीद समय से आदिनांक तक कब्जा काश्त व इसकी मृत्यू के बाद इसके वारिसान का कब्जा चला आ रहा है। विरास्तन इन्तकाल संख्या 201 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.06.2013 को किया गया तथा इंतकाल संख्या 202 दस्तबरदारी द्वारा उक्त समस्त भूमि लूणाराम पुत्र सोनाराम कौम मेघवाल के नाम दर्ज हो गई। इन्तकाल संख्या 201 व 202 को धारूराम पुत्र लादूराम एंव छोटी पत्नी धारूराम कौम मेघवाल द्वारा उपखण्ड न्यायालय श्रीकरणपुर में चुनौती दी गई। जिसका निर्णय करते हुए माननीय न्यायालय में उक्त खाते से 0.963 हैक्टेयर भूमि छोटी पत्नी धारूराम एंव 1.444 हैक्टेयर भूमि धारूराम पुत्र लादूराम के नाम करने के आदेश जारी किए। जिसकी पालना में इन्तकाल संख्या 303 दिनांक 08.06.2020 दर्ज किया गया। इन्तकाल संख्या 305, 308 के द्वारा छोटी पत्नी धारूराम व धारूराम पुत्र लादूराम का सम्पूर्ण रकबा अपनी सन्तान गवरी पुत्री धारूराम के नाम हो गया। वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 59 में उक्त रकबा गवरी पुत्री धारूराम जाति मेघवाल हिस्सा 2407/5767 व लूणाराम पुत्र सोनाराम जाति मेघवाल हिस्सा 3360/5767 खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त वादगत 11 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त हरविलास पुत्र खेता सिंह के वारिसान का है। लिहाजा उक्त वादगत भूमि का बैयनामा इन्तकाल संख्या 53 दिनांक 07.02.1965 ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत कर किया गया है। जिसका पटवारी हल्का द्वारा जमाबन्दी में नोट लगाया गया है। इसके उपरान्त सोना राम का विरास्तन इन्तकाल संख्या 201 दर्ज करते हुए, इन्तकाल संख्या 202, 303, 305, 308 दर्ज कर दिए गए। वादी के द्वारा उक्त इन्तकाल की अपील सक्षम न्यायालय में की जानी चाहिए थी। हस्तगत प्रकरण में वादी को अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर साबित नहीं होने पर अस्वीकार/खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित नही होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

जसदीप सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर **166/2024**
निर्णय दिनांक :- 04.11.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह ढिल्लों उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित नही होने से अस्वीकार/खारिज किया किया जाता है।

आज दिनांक 04.11.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{**श्योराम** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{**श्योराम** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★
सत्यमेव जयते